उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या 356/XVII–2/2011–01(15)/2010
देहरादूनः दिनांकः 27 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त प्रदेश में दिनांक 19.01.2011 से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTERGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) लागू हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने–अपने जनपदों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DISTRICT CHILD PROTECTION OFFICER) नामित किया जाता है। जिन जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारी का पद रिक्त है, उनमें जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदगत दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्याः–356/XVII–2/2011–01(15)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल /गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव